न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
22/2016/प्रा.पत्र/2016	18.02.2016	29.08.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम :

1— श्री उत्तम चन्द जैन पुत्र भागचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स रिद्वी सिद्वी एजेन्सी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी कायस्त मोहल्ला मालपुरा जिला टोंक राज0

2— मैसर्स रिद्वी सिद्वी एजेन्सी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2—अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

दिनांक 29.08.2019

:—निर्णय—:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.11.2015 को समय 2.09 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स रिद्वी सिद्वी एजेन्सी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज0पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री उत्तम चन्द जैन पुत्र भागचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स रिद्वी सिद्वी एजेन्सी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी कायस्त मोहल्ला मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया है।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान मे **मूंग दाल मोगर सिकी हुई खुली (Moong Dal Mogar Fried Loose)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ. बी.ओ. श्री उत्तम चन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता उत्तम चन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे रखे **मूंग दाल मोगर सिकी हुई खुली (Moong Dal Mogar Fried Loose)** 500—500 ग्राम के 16 नग मे से 'मे' से 4 नग कुल 2 किलोग्राम को ज्यो का त्यो वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ. बी.ओ. श्री उत्तम चन्द जैन को रू 320/—अक्षरे तीन सो बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मूंग दाल मोगर सिकी हुई खुली (Moong Dal Mogar Fried Loose)** 500–500 ग्राम के 4 नग कुल 2 किलोग्राम को ज्यो का त्यो 4 भाग तैयार कर चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे रख प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1213 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1213 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. उत्तम चन्द जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा. एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए. / 16 / 257 दिनांक 22.01.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0 / 937 / एक्ट / 2015 / 948 दिनांक 18.12.2015 अनुसार उत्तम चन्द जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **मूंग दाल मोगर सिकी हुई खुली (Moong Dal Mogar Fried Loose)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **मूंग दाल मोगर सिकी हुई खुली (Moong Dal Mogar Fried Loose)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अप्रार्थी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **मूंग दाल मोगर सिकी हुई खुली (Moong Dal Mogar Fried Loose)**का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मूंग दाल मोगर सिकी हुई खुली (Moong Dal Mogar Fried Loose)**का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 अप्रार्थी श्री उत्तम चन्द जैन पुत्र भागचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स रिद्वी सिद्वी एजेन्सी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी कायस्त मोहल्ला मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पांच हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

935

Scanned by CamScanner

जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.08.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0

Scanned by CamScanner